go into the details &f tha other proposal! that have been brought in and to bring in the Winter Session.

So far as the Long-Term Fiscal Policy which has been laid down ig concerned, many points have corns, DS I said last time during the Budget discussion, and, in fact, many points aie still pouring in and some of the assessees and some nsocia tions have sent us points and we have kept ourselves open to consider them and also the suggestions of the Honourable Members. We are still open and still there is time. If any honourable has got any other suggestion, we are certainly willing to look into those suggesitons so that, when the final shape is given, it iouehes all the point, as far as possible.

With regard to the question whether it should be brought in the Winter Session or in the Budget Session for the purpose of convenience, as pointed out by the veteran Honourable Member, I shall certainly take note of it and discuss it with the Finance Minister what the repercussions are that will be caused if we bring it during the Winter Session or wh. ther should be done during the Budget Session. This is certainly a point to be looked into and we will go into thi?

On the question of su month, so far es the reepal of the previous Act is concerned, Desaiji has commented. Again, as earlier, various suggesions are corning in and as stated by the than Finance Minister -still I am also stating-this being a fiscal statement and being a matter on which we want to hear as much as possible and as many people as ponsible, we have not kept ourselves cicsed. Even last week many people came and while com-fng for their individual eases, they are discussing this and give us points. Therefore, this is timeconsumins end it is taking time. Even though this lakes time, there are all matters where detailed cen sideration is to be given as far as by the Government and that is why I have made the statwnent that so far as this question Is we could not do f(.

I repeat and I want to assure the <u>House</u> that the question of any big monopoly house interfering with us does not arise. We are looking into the small partnership firms which are giving their versions and we are looking into the veisions of the other people, who are salaried people and who make representations. Those are being considered. Thank you, Madam.

FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 1987

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI):

Madam, 1 beg to move:

"That the Bill to amend the Forest (Conservation) Act, 1980, be taken into consideration."

As the Honourable Members are aware, che Forest (Conservation) Act, 1980 was passed at the initiative of our former Prime-Minister, Shrimati Indira Candbi, after the enormous deforestation which had occurred in our country due to various factors had been noticed.

[THE Vice-Chairman (Shri Jagesh Desal) in the Chair]

About 45 million hectares were lost between 1951-52 and 1979-80. The State Governments could not exercie control over such diversion of forest lands for nonforest purposes. Tire extensive diversion had a gret adverse effect on the environment in our country, causing soil erosion, silting of reservoirs, lakes, rivers, channels, etc. and recurrence of floods and drought. In addition, the rural poor are uffe~ted as their biomass needs become enormous.

The Forest Conservation Act, 19S0, has a very salutary effect on the rate of de elopment of forest lands for non-forest purposes. The annual diversion came down to 15000 hectares from 1.5 hectares prior to the coming into force of this Act Guidelines have been issued from time to time for the implementation of this Act. But some lacunae have come to our notice the last 8 years. Some attempts

have been made to divert forests for creation of commercial plantation on the plea that these plantations also can discharge the functions of natural forests. This pier is not correct. Certain requests have also come to the Central Government to allo diversion of land non-gcernment-al organisations, corporations, etc. justification that these non-government21 organisations would plant the very sreciss in these lands and hence such use would not amount to diversion of land from forests. Sh certain doubts also arose whe-! ther the use of fo.est land meant for purposes such as establishment of checki posts which are ancillary to the lores, conservation would amount to diversion of forest land. One of the weaknesses frequently poimed out in the Forest Conservation Act, 1980, is the absence of a penal provision in the Act. Tn order to remove the lacunae in the Act the Government have examined in depth ihe variou! issues. The present amending Bill has been brought before the House to strengthen the Potest (Conservation) Act, 1980. The object of the Bill is laudable. And I solicit the support of the hon. Members in parsing this Bill. I am confident that the Government would be able to protect forests more effectively with the help of the proposed amending Bill.

The question was proposed,

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Forest (Conservation) Amendment Bill 1987, which has been brought by the hon. Minister of Environment and Forests for its consideration.

Sir. at the very outset 1 would like te mention in this House that a very unfortunate controversy has arisen in this country by the so-called environmentalists They have raised a hue and cry in the name of protection and conservation ol environment and they have started a vflifly-ing campaign against some State Govern? ments in the name of preserving the national wealth, the forests of this country. ould like to draw particularly the atten-

tion cf ihe han. Minister to such a campaign against a very good measure, multipurpose irrigation project called the Narmada Sardar Sarovar Project, which it going to benefit not only the State of Gujarat but also the riparian States like Maharashtra. Rajasthan and Madhya Pra-

54

Sir, in the name of protection of forests, in the name of preserving environment, is the development of this country going to be stopped? Therefore, this is the opportunity in the House lo make one thing very clear, that we want both—development of this country and environmer.tal protection. Both will go together. Thete-fore, I would like the hon. Minister to categorically state that the Government of India will not come in the way of positive development in the States.

Sir, another thing that I would like to mention here is that the studies carried by the National Remote Sensing Age:cy through satellite imagery have shown that the average annual rate of depletion of forest cover during the period 1972 to 1975 and 1980 to 1982 was approximately 1.3 million hectares. What action has the Government taken? However, no study has been conducted to assess the denudation of forests during the last three years. I would like to know from the hon. Minister as to what has prevented the Government to assess the denudation of forests in the last three years and why has it been stopped.

Sir, the second point that I would like ' to mention here is that the Government has stated in the House that no target has been fixed for reserved forests, protected: forests and unclassified forests in the 7th; Five Year Plan. But, in the same answer, Government has stated that a total i afforestation target of 10 million hectares was fixed for the 7th Five Year Plan, and the reported achievement of afforestaica for the first three years of the 7th Plan j is about 5.04 million hectares. I would Ike to know, therefore, why is this contradic- I tion in the Government's statement that no target has been fixed for three catego

IShri Raoof Valiullah (Gujarati ries of forests rinii in tiw surrc breath it says that so far in the first three years cr. the 7th Five Year Plan, about 5 milLon hectares have been- afforestated. I wouli also like to know from the hen. Mi.tis.e-as to what is the present position, and whether the target fixed for the 7th Five Year Plan will be completed.

Sir, efforts are being made to conserve and protect foresis and to bring additional area under green cover through a rnasriv'e afforestation programme. I would like to know from the hon. Ministtr whether he has come across an answer, not from him but from some other Minister, giving the figures of the last three years Statewise where I found that no efforts have been made by the State Govern rre nts to aug nent the green cover area. The figures themselves reveal that there is hardly any deference between the figures of 1982 83 and 1985-86. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the schemes, what are the incentives a~d what are the deterrents that the Un^vn Government proposed in this direction so that green cover area is increased in the country. Sir, it has also mentioned by the hon. Minister that sone cas-s where difficulties were experienced in the implementation of the developmental works in the tribal areas due to delays in obtaining the clearance under the Forest Conservation Act, 1980, have come to the notice of the Government, In such cates, the delay has been occasioned mainly due to the non-furnishing of the required information in a complete form in the first instance. And detailed guidelines have been issued to facilitate furnising of all requisite information so as to facilitae speedy decisions. Here. Sir, I would like to mention that the Government of for instance, has lent a proposal to release forest land for 73 minor irriijationi sememes cf tribal areas of Gujarat and these, schemes are pending before the Govern' ment of Tndia. The Mintstry of forests and Environment has not siven clearance for there schemes since the. 6th of About 15.317 of lard Novem-ber.-1986. would be. irrigated and 4/59 tribal families would be benefited if these schemes

are implemented. Sir, & number of" times the Government of Gujarat has sent letters, has reminded the Government of India, but no clearance has been given so far. In fact, the Chief Minister himself has intervened and very reczntly he has given a statement in Ahmedabad that he has personally requested the hon. Minister to give clearance for there schemes. I would like to know what is the latest position with regard to these 73 minor irrigation schemes and how many schemes for which the details were sought by the Union Government, for how many such schemes the information has* come from the Government nf Gujarat.

Sir, a very important aspect of this B.'ll is tha: the Central Board of Forestry in its 22nd meeting held in December 1987 unanimously adopted a Resolution. That Resolution stated that for conservation of forests, the extraction of wood from forests must be stopped. Now this Resolution was adopted in 1987. Nothing was done and the result was that very recently an organisation went to the High Court of Gujarat and it is to be noted that the High Court of Gujarat has given an interim injunction, a stay order, against the poor adivasis who fell trees for fuel. Bit the modus operandi is different. The H'gh Court was surprised to find out that it is not the poor adivasis who do that. There are contractors who lure the ad visa to fell trees and when the adivasis are caught the contractors pay the fin? on their beha'f. There is a gang of contractors which is working like this. And therefore the High Court of Gujarat gave a stay order. Cf course, it is a temporary stay order. Only last week has the Union Government come to know of it. And what positive sters are the Un'on Government and the State Government going to take when these confractors exploit the poor adivasis and exploit our national wealth? (Interrupyou the n'ons). T told modus onerandt. The poor adivasis go and fell the trees for their fuel and when they are "atwht, the contractors pay the fine. But the wood is taken away by the contrators, and sold at a premium, the High court

has come down heavily on the Govern' ment. I would like the hon. Minister to explain to us what positive measures a:e being taken against such people.

Sir, another aspect that I want to' men tion THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, the last poim.

SHRI RAOOF VALIULLAH: One very important point was that it was agreed tht the reduction in state revenues as a result of all these losses will be compensated. The quantum of compensation was to be determined by the Finance Comr.is-sion. Now these recommendations have been conveyed to the State.. and the details regarding the losses of revenue that would accrue have also b~en sought from them and the matter regarding compensation has been taken up with the Finance Commission by the Ministry of Environment and Forests.

Now, the first report of the Ninth Finance Commission has already be:n placed before both Houses of Parliament. I would like to know from the hon. Minister the quantum of compensation paid to each state and whether this particular issve was taken up and does it figure in the recommendations of the Finance Commission.

Sir, I would not like to go into details of the Bill because it is a small Bill, an amendment Bill, and since this has been given fo the House to discoss it, I have made certain suggestions and I would like to have the reaction of the hon. Minisler when he replies to the debate. Thank you.

SHRI' SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan) Sir, I rise to support The Forest (Conservation) Amendment Bill, 1987.

The objects and reasons mentioned in the Bill are quite Valid in the present circumstnees, even if it is quite late now; probably it should have come long before. Sir, plenty of land is now under non-forest use. I don't think mder any circumstances we can get back those, lards which really belong to the forests. There

is no doubt that importance'of forests for environmental purposes is great all over the world. In fact, the environmental.sts said that our continuous drought in the country over the last few years was due to less area under forests.

58

I would like to caution the Minister that lot of land is reserved for forests but on tiiose lands there are no trees. These have been just reserved. In the process, those lands are neither used for forests nor for any useful purpose, especially in Rajasthan State, because all over the country there is a move for improvement in environment. So, they just acquire lands and reserve them, with no trees at all. I regjest the hon. Minister to look into this aspect and see that such lands are not left unused, because that is our national we: lth.

To the best of my information, the subject on forests is in the Concurrent List in the Constitution. Thorefore, I don't know how the Central Government can really enforce it or manage with Con-ress or non-Congress Governments where the Staee Governments for various reasons give those forest lands to develop cash crors so that they can raise their resources end aiso employment opportunities. Even now, I have definite information, In a number of States like West Bengal, Kerala and some other States, lands are just being I given for cash crops to a number of multinations! and MRTP companies, I fully agree with my colleagre, Mr. Valiullah i when he says that in the name of environ-[ment, our development ia the country is completely stopped. I am using the word 'stopped' because I know for certain, as I said, there are a number of pleces Rajasthan particularly where there is no forest but the industralists or entrepreneurs are not allowed to use these lands and they are runnine from one place to another and as a result, corruption comping up heavily ln these departments because these things are cleared Only if the people In charge rre kept satisfied by other means. This point must be taken serionsly; and I think country's development will not be jeopardised in the name of environment.

i, P.M.

59

Coming to penalty, in clausa 3A, fifteen days imprisonment provided for is very negligible. Tho hon. Minister should look into this and see that this is made more strignent and deterrent.

I mint compliment the hon. Minister on clause 3B where even the Government departments, heads of departments and even officers, have been included. If they are found guilty under this Act, they will also be penali:ed. I very much compliment the Government for making this provision. Our Prime Minister has expressed the view that even the Government officers must be accountable. I think this policy of the Prime Minister is fully refiec'ed in this Bill where the officers will have to be very careful. They cannot violate the law and get away with it.

With there words, 1 thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

भी नरेश सी० प्रालिया (महाराष्ट्र) : उपसमाध्यक्ष महोदय वननंत्री जी फारेस्ट कन्दर्वेगन एवट 1980 में जो घरेंडमेंट लाये हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हमा हं। 1980 में जब यह फारेस्ट कन्अर्वेशन एवट लगा, उस समय एक्ट लगाने की क्या वजह थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समन की हमारी नेता, इस देश की प्रवाद मंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने जब देखा कि देश में वन सम्पत्ति का नाश वह पैमाने पर हो रहा है, बनों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है और इस यजह से देश में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गया है और इसको रोकने में जब तक नेन्द्र सरकार कई कठोर कदम नहीं उठाती है तब तक हम इसे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि राज्यों को बार बार त कीद देने के बावजूद भी किसी राज्य ने इतको सीप्यियली मही लिया मा और

जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई होने लनी बी इसीलिए 1980 मैं इस देश को नैता स्वर्गीय इंबिरा जी इस एक्ट को लायो थीं और प्राच उस एक्ट में जो भी लैकुन ज हैं जो भी कमिया हैं उनको दूर करने के लिए वन मंत्री जो यह प्रनेडमेंट लाये हैं जिनका में स्वागत करता हं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र से हो ब्राप जानते हैं कि भरे जिले चन्द्रपुर गडिवरोली में वर्ल्ड में सेकेण्ड नम्बर का संबसे मान्छा टीक वृह होता है शिह्या में सबसे ग्रन्छ। फारेस्ट हमारे एरिया में है। लेकिन एक तरफ धन सम्पति "

उपसमाध्यन (श्री जनेश देलाई) : मैं आपके साथ जंगल में गया था।

श्री नरेश ली० प्रालिया: तो उपसभाद्यक महोदय एक एक्ट के कारण वन सम्पति की रक्षा जिन जिन जिलों या प्रांतों में हुई है उनके िकास का काम ठप्प हो गया है। हमारे साथी वलीउल्लाह और बागरोडिया जी ने भी यही कहा और हम भी जनते हैं कि हम जो फारेस्ट कन्अवीमन एवट लाये हैं यह वन सम्पत्ति की रक्षा के लिए लाए हैं लेकिन डेवलप-मेंट को रोकते के लिए नहीं लाये हैं। घार इस एवट का छपयोग वहां के विकास के प्रोजेक्टस जैसे हरीगेशन, रोडल इतेनिट्िटी और दूसरे घन्य डेनलप्पेंट के कामों के रोकने में किया जाता है फारेस्ट कम्जर्वेशन के नाम पए या राज्य सरकारें इस तिलक्षिले में उनके साथ धन्याय करती है तो इस एक्ट का सही मानों में दरमोग किया गया ऐसा नहीं कहा का सक्ता है।

मैं वन मंत्री जी को धर उदाहरण देना चाहता है। देश में हम जानते हैं कि जन तक हमारी जो पूरी जमीन है उसके 1/3 में फारेस्ट नहीं होंने तो देश की हालात खराव सकती है, पर्यावरण की समस्या बिगड सकती है। भापके भांकड़ों के हिसाब से, जो फारेस्ट्स के संबंध में हैं, हमारे देश में 22 परसेंट वन उपलब्ध हैं वन अभीन उपलब्ध है उस पर वन है लेकिन ब्राज सही मानों में 10 और 11 परतेंट से ज्यादा हमारे यहां वन उपलब्ध नहीं है। हमारा एरियल सर्वे हो चका है। इसके बाद में कहना चाहंगा कि वनों की जो कनी हुई है उसको पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार और प्रापका डिपार्टमेंट पुरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें कामयावी नहीं मिल रही है। लेकिन यहां पर पहले तो मैं द्यापका ध्यान इस ओर प्राकिषत करना चाहता है कि जिन िजों, प्रांतों ने बनों की रक्षा की है थापका डिपार्टमेंट वहां के डेवलपरेंट के सिलसिले में इस फारेस्ट कार्वेशन एवट का दृष्पवीग कर रहा है। राज्यों से इर्रानेशन ग्रावि के जो प्रोपोजल्स ग्राते हैं या दूसरे प्रोपोजल्स आते हैं उनको 10-10 बार वापस भेज देते हैं। यह कहां का तरीका है। मैं कहना चाहंगा कि मेरे चन्द्रपुर गडचिरोली जिले में 1980 के बाद एक भी नया इरोनेशन प्रोजेक्ट नहीं द्याया है। हमारे यहां नवीं नालों की कोई कमी नहीं हैं, पानी की कोई कभी नहीं है, लेकिन एक्ट का दुरुपयोगं करके, क्योंकि राज्य के कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि इस जिले का पैसा इंच जाए, तो इसरे निले में, इसरे निकाम में लगा धेंगे। तो विदर्भ जो हमारा एरिया है जहां से हम धाते हैं, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, जिस विदर्भ ने फारेस्ट की रक्षा की है बड़ी ताद द में जहां फारेस्ट हैं, उसके अन्दर हमारा डिवेल-मेंट वर्क रक गया है और रक्षा किसलिए है कि वहां के खिंदकारी और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि फारेस्ट कंजरबेशन एक्ट है, आपके यहां तो हतना जंगल है, हम तो कोई डिवेल-मेंट नहीं कर सकते।

मैं वन मंत्री जी से जानना चाहंगा कि भापका एक्ट इसलिए आया है ताकि जिन्होंने बनों की रक्षा की है उनका धाप हर समन के लिए नुकसान कर दें। अगर हमारे इरिगेमन प्रोजेक्टस नहीं होते हैं, हमारे किसान भाई दो या तीन फसल झगर महीं लेते हैं, उनकी इकन मिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो वह कहते हैं कि ऐसे एक्ट की हमें क्या जरूरत है। मेरा भ्रादिवासी एरिया है हमारे मादिवासी भाइयों के पास कई प्रकार की जनीन है। उन्होंने 1980 के पहले हो सकता है कि फारेस्ट की जमीन पर कब्जा करके 20-20, 30-30 साल से वह खेती कर रहे थे लेकिन उसका पटटा महीं मिला था। द्यापकी राज्यं सरकार के डिपार्टमेंट के अधिकारी उनकी सताते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, घ दिन सियों को अनीन से बंचित करने की कोशिश करते हैं।

में मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा जिन आदिवासी भाइयों के पास, शोषित, पीड़ित जनता के पास किसानों के पास 1980 से पहले, दा, बीस या प्वास साल से धार वन डिपार्टमेंट की जमीन है, उसका श्रीफशल तौर पर धार खनको पर्दा नहीं मिला है, तो ऐसे [भी नरेश सी॰ पुगिलया]
पादिशासी भाइयों को जिनके पास 1980
से पहुने जनीन है, उनको जनीन का
पट्टा उन्हें देना चाहिए। यह एक्ट उतके
बीव में नहीं जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहंगा कि विदर्भ के अंदर हवारे जितने भी इंटियान प्रोजेन्टत हैं और खात करके उनतमांद्या. जो, अपको इतकी जानकारी है कि 1980 सम िं। वहे प्रोजेन्टस में, जैते सुनजुली प्रोजेनट है--वह तीत करोड़ का प्रोजेस्ट है और हमने बीस करोड़ ला। दिशा ऐसे ही हमन का प्रोजेक्ट पनास करोड़ का है और हनते बीत करोड़ का खर्ची कर दिना है। इस प्रकार से ऐसे कई मेजर और मोडियन प्रोजी उस है कि जिनके उनर राज्य सरकार ने घो-िछाई से भी ज्याद या आबे से भी ज्यादा काम कर दिना है, लेकिन एकड धाने के बाद काम एक गा है और वहां की जाता नेताओं को कांग्रेस की सरकार को दोव देतो है कि हमारे यहां इतता वडा हैन आ रहा था, इश्लिश की फैसिल्टो हो रहो थो, झापने इसे रोक दिया है। राज्य सरकार के अधिकारो ग्रनर यहां कोई प्रोपोजल भेजते हैं, तो वन मंत्री जो केन्द्रके अंदर जिस पिताण से उनको सहायता निजनी चाहिए थी, वह नहीं मिला है। उनके प्रोजेक्ट के अंबर पनास वार ग्राप नवेरोज निकालते हैं।

श्रापके इस एक्ट का हमने स्वागत किया है। इस भी कामते हैं कि वन सम्मत्ति की हमें रक्षा करनी है। इतका मतकव यह महीं होता है कि श्राप हमारा डिजेलगमेंट वर्क रोक में । मैं वन मंत्रों जो से विनती करंगा कि महाराष्ट्र में हो नहीं विषयं में हो नहीं, मेरे जिले में हो नहीं, लेकिन हर प्रांत के अंदर फरिस्ट कंजर-वेशत एक्ट की वजह से जिनके भी इंटिनेशन प्रोजेन्डल या दूसरे प्रोजेन्डल कते हैं, उनके अंदर आप एक नियन बना वें कि राज्य सरकार ग्राट कोई प्रोमोजन हमारे पास भेजना है, तो तीन महीने के अंदर सेंटर के फारेस्ट डिगार्ट-मेंड को उत पर निर्णय लेगा चाहिए और ग्रांन मनेरीज एक नहीं। पचास मवेरीज बाद विकास लीजिए, बाने डिनर्टमेंड में समाजान कर लोजिए, खेकिन एक बार । पवास बार प्राप प्रोपोजन प्रांतों में न विस मैं जो हैं, यहां से दिल्ली आती हैं और वहां से फिर ग्राने राज्य में जाती हैं, यह तनाया कित बात का है ? आ ने कंज रवेशन एक्ड क्या इसति र लागा है कि हमारा डिवेजनेंड वर्त एक जाद ?

में जारते जिल्ली करता हं कि वन मंताला का कान जित परिनाण में, जित तेजी से जिब दिजवसों से होता चाहिए था, नहीं हो रहा है। जितने भी बोरोज त बाते हैं, ग्रापते मेरो वित्तो है कि राज्य सार पर हर प्रांत की आर सूबता दें, राज्य स्तर पर अभ खार जकार के, बीरा करने जहां भी जाका मंत्रालय है, स्टेड का हेडनगर्दर है, वहां एका वन मधिक रियों के साथ, नख्य मंत्री के सायग्राय सेकेंद्रों को साय में लेकर चर्चा को जिए और स्माट बिसीयन सीजिए स्पॅकि झानका कानन, 1980 का जो फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट है, वह इतना सन्छा है । इन्होंने इत एक्ट में बोबोजन किया है --हम प्रनर धन की जनीत, मान लो पांच सौ एकड़ जीते हैं और उतने बदने में उतनी हो रेहनी की जमीन धनर दे देते हैं और उस पर मना जंगल मनाने के लिए, एफोर-स्टेशन के लिए हम पैसे का, चज्रट प्रोवीजन ग्रगर करते हैं, तो ग्रापका यह एक्ट उसके ग्राडे नहीं ग्राता है । ग्रापने जब इसमें प्रोवीजन की है, तो इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं ? इसमें केन्द्र सरकार और फारेस्ट डिपार्टमेंट उन राज्यों को क्यों सताता है ?

मेरी थ्रापसे विनती है कि राज्य से यदि कोई भी डिवेलपमेंट वर्क की प्रोपी-जल ग्राती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसे तीन महीने के अंदर सेंटर को-यह भी उसमें अमेंडमेंट लाइए कि कोई भी प्रोपोजन अगर आता है और तीन महीने से अगर ज्यादा होता है, तो उसको मंजरी है, ऐसा समझ कर वह राज्य काम कर सकता है। या तो फिर ग्राप स्टेट लेवल पर उसका टुर करके, वहां चीक मिनिस्टर पारेस्ट, मिनिस्टर और फारेस्ट सेकेटरी के साथ बैठ कर स्पाट डिसीजन लीजिए, लेकिन बार-बार उसमें क्वेरी मत निकालिए ।

दुसरा में ग्रापसे कहना चाहंगा. उपसभाष्यक्ष महोदय, यह बैस्ट लेण्ड डबलपमेंट बोर्ड ग्रापने बनाया। देश में फालत जमीन की कोई कमी नहीं है और वैस्ट लेण्ड के अंदर ज्यादा से से ज्यादा जंगल लगाकर आपने वन की संपत्ति बढाने की कीशिश की है। लेकिन बेस्ट लेंड डबलपमेंट बोर्ड का काम किसी भी प्रांत में ग्रच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। मेरी जानकारी के हिसाव से ग्रापने ग्रभी तक शायद इसकी पूरी कार्यकारिणी भी डिकलेयर नहीं को है, परे मेंबर भी नियकत नहीं किए हैं। इस प्रकार से यह बोर्ड का काम चलेगा तो ग्राप बनों में उपज कैसे बढाएंग, फालत जमीन पर जंगल कैसे बढाएंगे। मेरी 2464 RSS/88-5

विनती है कि वैस्ट लेंड बोर्ड का काम तेजी से ग्रागे बढाने के लिए मंत्री महोदय ध्वान दें। ' ' (व्यावधान) · · ·

Amendment Bill, mi

इसके बाद वन मंत्री जी से मैं विनती करूंगा कि महाराष्ट में, जो हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया है. वहां एरीगेशन के प्रोजैक्ट काफी बढे हैं। उपाध्यक्ष जी, जैसा ग्राप जानते ही हैं वहां पर गन्ने की पैदाबार, बड़े पैमाने पर होती है, ग्रापने वहां पर गन्ने की जमीन के उपर एफीरस्टेशन का काम लिया है। वहां बड़ी तादात में आपकी जो ग्रर्लीग्रोईंग वैराईटी हैं, वह लगाई जा रही हैं। वहां मंत्रों जी एक बार ग्राकर विजिट करें, उन सब लोगों का कहना है कि यह जो टीकवृड के झाड़ लगाए जा रहे हैं, जे चालीस साल में तैयार होते हैं अगर यह फर्टिला-जर के साथ, एरीगेशन के साथ, जैसे कि हम खेती की जमीन तैयार करते हैं. उसी तरह तैयार करें तो बीस साल में हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। उन्होंने हिसाब लगाया है, एक एकड में कितना पानी लगेगा, कितना फरिलाईजर लगेगा. बीस साल में कुल कितना लगेगा और उससे कितना उत्पन्न होगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं और बड़ी तादाद में खेती की जमीन पर जंगल का काम शरू हुआ है। मेरी विनती है कि हम धरती के उपर, हर प्रांत में, जहां भी प्राईवेट व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खेती की जमीन पर जंगल लगाना चाहते हैं, उन्हें केन्द्र सरकार की ओर से कुछ न कुछ सुविधा, कुछ न कुछ सबसिडी, कुछ न कुछ इनसेंटिव अवस्व 67

[श्रीनरेश सी० पुगलिया] देना चाहिए। आशा करता हूं हमारे वन मंत्री महोदय मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पो-टेंण्ट चीज हैं, इसलिए पांच-सात मिनिट और ग्राप मझे दें, और ग्रधिक समय लगा तो जो मेरे साथी हैं, उनका समय ले लंगा। अगला मेरा कहता है कि यह दो एकड़, चार एकड, पांच एकड में एपलायमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत छोटे-छोटे काम महाराष्ट्र में हो रहे थे, यह बंद हो गए हैं, विलेज लेंड के भी बंद हो गए हैं। मेरी ब्रापसे विनती है कि दो हेक्टेयर तक ग्रगर एरीगेशन प्रोजेक्ट ब्राता है और उसके बदने राज्य सरकार दूसरी दो हेक्टेयर जमीन दे देती है तो वह होता चाहिए। यह चीज केन्द्र सरकार के पांस न ग्राने के बजाय वहीं राज्य सरकार को दो हेक्टेयर तक पावर दे देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, छोटे तालाबों का विकास करने के लिए, विलेज लेण्ड का विकास करने के लिए दो हेक्टेयर तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए राज्य सरकार को मौका ग्रवश्य देंगे।

उप समाध्यक्ष महोदय, कंज रवेशन एक्ट लाने के बाद ग्राज नौबत ऐसी है कि पहले जो किसान को जंगल से दो बण्डी, चार बण्डी लकड़ी लाने की इजाजत थी, ग्राज वह बंद कर दी गई है और ग्रगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाय तो उसे जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती। ग्रापने यह एक्ट लाया है तो कम से कम भरवन एरिया में लकड़ी के डिपो बनाइए ताकि डिपो से घर के काम के लिए या दूसरे काम के लिए वे लकड़ी ला सकें। खासकर के गावों में, हर गांव में जैसे

चराई के लिए जमीन रिजर्व रखी हैं. उसी प्रकार से इनके खाना बनाने की जो मेन चीज है, पयुल है, वह लकड़ी-कोयला है, उसके लिए ग्राप कम से कम दस-बीस एकड़ का एक पटटा रिजर्व रखिए और उसमें ग्रलीग्रोईग बेरायटी लगानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज हर जगह गैस नहीं हैं, मैं मानता हं बंबई में हर धर में गैस की वात होगी, लेकिन बंबई जैसे शहर में भी भ्राज लोग लकड़ी, कोयले का उपयोग करते हैं, तो छोटे शहरों में, गांवीं में लोगों से अपेक्षा करना कि गैस लेकर काम चलाएं, कैसे संभव है, । ग्रगर वे लोग जलाऊ लकडी की मांग करते हैं तः उसके लिए ग्रापने क्या ब्यवस्था की है इस पर भी आपकी ब्यान देना होगा।

उपसमाध्यक्ष महोदय, जंगल के अंदर जो चारा होता है, जो घात होती है, जो जानवरों के लिए उपयोगी हैं, झौपड़ियों के उपर लगाने की आवश्यकता है, उस पर आपने बंदिश लगा दी हैं और जितने भी लकड़ी के औजार हैं, जो लकड़ी से बनते हैं, उसको भी आपने बंद कर दिया है।

जंगल से काटकर वह ला नहीं सकता ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसे खेती का सामान बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी—— बल्ली की आवश्यकता होगी, फावडे के लिए आवश्यकता होगी। तो एक तरफ जब आप कानून लाते हैं तो दूसरो तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए कि उससे गरीब ग्रामीण जनता को, छोटी जनता को तकलीफ न हो। इस-लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप

70

इस प्रकार के डिगो प्राप्ता नाग के बेती के काम के लिए, जलाउ लकड़ी के लिए बनाएं।

दूसरे चंद्रपुर और गढिचरौली जिले के जितने इरिगेशन प्रोजेक्टस हैं, महाराष्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हे क्लिअर करने के लिए आपने सेकेटरी को महाराष्ट्र राज्य के चीफ सेकेंटरी से मीटिंग करने के आप आदेश दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हं। हमारे यहां फारेस्ट डवलपमेंट कार्पीरेशन के काम पर आपने पाबंदी लगायी हैं, उसकी कटाई वंद कर दी है। इसका में स्वागत करता हं। लेकिन जिस ढंग से उनका प्लांटेशन का काम होता चाहिए, वह नहीं हो रहा है। आपका स्टेट लेवल का जो फारेस्ट डिपार्टमेंट हैं, उसका सर्वायवल रेट क्या हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उस में राज्य शासन करोड़ों रुपए इनवेस्ट कर रहा है, लेकिन सर्वायवल नहीं होता है । बोगस आकड़े दे दिए जाते हैं। इसे आपको सब्ती से देखने की जरूरत है।

दूसरे, मैं कहता चाहता हूं कि हमारी फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत हैं खासकर मेरे जिले में बल्लारपुर पेनर मिल हैं, इंडियन प्लायबुड का प्लायबुड कारखाना है और तीन-तीन पेपर मिल हैं। पेपर मिल में लगते वाला बंबू रहे या इंडियन प्लायबुड में लगते वाला टीकबुड रहे, हिंदुस्तान में फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी हैं, उसमें आपने प्रोविजन किया है कि वह बेस्ट लेंड में हैं, सरकारी जमीन में हैं या रेलवे या रोड के किनारे की जमीन हैं, उसके उपर प्तांटेशन की परमीशन आप देंगे। लेकिन जमीन के लिए अगर कोई प्रपोजन देता है तो

बेंडल फारेस्ट डिवार्टवेंट छ:-छ: महीने उसको नहीं देखता है। इस तरह सारे हिंदस्तान में जितनी फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें आज से 5-10 साल बाद वहा पर काम करने वाले कामगारों की कटौती की नौबत आएगी। हमारे यहां बल्लारपुर पेपर मिल में 8 हजार कामगार काम कर रहे हैं, रा-मटेरियल न मिलने की वजह से उनकी कटौती की नौबत आगयी है। इंडियन प्लायवड में 1100 काम-गार काम कर रहे हैं, उन्हें बंब नहीं मिल रहा है और उनका कहना है कि हम फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। इस प्रकार से भविष्य में यदि फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो एक तो हमें फारेस्ट प्रोडयस नहीं मिलेंगे और दूसरे कामगार बेकार हो जाएंगे । इस-लिए मैं चाहता हं कि जो बेकार सरकारी जमीन है वह फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को दी जाय। उनके साथ लांग टर्म एग्रीमेंट किया जाए। हमारे यहां बल्लारपर पेपर-मिल 16 रुपये टन बंबु लेती थी। उस समय 1978 में मैं विधानसमा का सदस्य था और हमने आवाज उठायी थी कि अप किसानों और दूसरे लोगों से लकडी और बंब की कितनी कीमत लेते हैं और पेगर मित 16 रुगो टा लेती है। जहां एक नथा पैसा बंबू को कोमत नहीं लगती है और बंद पर काम करने वाला एक छोटा आदवासी जो उसने टोकनो और दूसरी चीज बनाता है, तो यह कोई हमारे रिश्तेदार हैं। तत्र सरकार ने 16 से बढ़ा कर दो सो छ। टन किया। वह भाव भी हिसाव से कम है। उनके उपर उन्होंने स्टे लिया है और वह पिछले पांच साल से पुरानी रायल्टी के उपर

चल रहा है। इस प्रकार से अगर फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज सरकार की आंख में धूल झोंकती है तो उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकारों को सख्त आदेण देने चाहिए। उनके रा मटैरियल की व्यवस्था तो होती चाहिए, लेकिन अगर कोई मिट्टी के मोल माल लेता है और सरकार के पैने का दुरुपयोग करता है तो इसका भी आपको ध्यान रखता चाहिए।

महोदय, मरी वन मंत्रीजी से खापकर विनती है कि आप राज्य स्तर पर
मीटिंग करवाकर जो भी प्रोजेक्टस
इनकम्पलीट हैं, उन्हें करवाइए मैं उम्मीद
करता हूं कि अगर आपने बेस्ड लेंड
इवलपमेंट बोर्ड को एक्टिब किया,
फारेस्ट इवलपमेंट कारपोरेशन को एक्टिब
किया, रीजनल फारेस्ट डिवार्टमेंट को
एक्टिब किया तो इस देश में वनों
के निर्माण में भारी माता में
वड़ोतरी होगी और आज हम जिस
समस्या से धिरे हुए हैं, कहीं पर्यावरण
की समस्या है, कहीं बारिण ज्यादा होतो
है और कहीं अकाल पड़ जाता है, यह
सब जो आज हो रहा है यह नहीं होगा।

वनों के निर्माण के लिए जो आपने यह कंजवेंशन एक्ट लाया है, इसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वन मंत्रीओ मेरे सङ्गाव पर गंभीरता से विनार करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Jagesh I Desai): Because you ars from a forest area, he will definitely look into it.

विकल जी आप थोड़े से में समाप्त कीजिए क्योंकि बहुत लोगों का नाम है, वासुमतारी जी का है, मट्टु साहब का है। श्री रामचन्त्र विकत (उत्तर प्रदेश)ः उपसमाध्यक्ष महोदय,

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam): Sir, I want to know whether my name is there.

उरसभाष्यभ (श्री जगेश देसाई): आपका भी नाम है, उसके बाद सर्दु साहव हैं।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : What happened to my name, Sir ?

उपसमाध्यक्ष (श्री जगेस देंसाई): आप का नाम है, चित्रतमाई का नाम है, बहुत से बोतने वाले हैं।

श्री राम चन्न विकल: उनसमाध्यक्ष महोदय, सन् 1980 के बन संरक्षण विशेषक में जो मंगोजन मानतीय मंत्री जी लाए हैं मैं उसका सनवंत करने के लिए खड़ा हूं। पर मैं कुछ मुनाव ऐने देना चाहता हूं जो प्रैक्टिकन हैं। हमारे गांव में एक कहावत हैं—-मौ साल जातो, सौ साल बनी। जातो कुइरतो तौर पर सौ साल जंगतों में बदन जाती है सौ साल हाले की नोक पर आ जाती है। आज जमीन पर करना जादेस्तो चाहे, आबादी की हो, चाहे जंगल की हो, लोग करते रहते हैं और उसमें अधिकारी आर मित्र जाते हैं। तो कुछ जादनी और हो जाती हैं।

उसकाव्यन महोदय, फारेस्ट की जमीन, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तिहाई होनी चाहिए पर हमारे यहां यू.पी. में तो 16 फीसदी बताई जाती है। अधिकारी कभी-कभी फारेस्ट उपजाऊ जमीन को गैर उपजाऊ जमीन में ट्रांस्फर करने का सुनाव दे देते हैं। में भुगत-भोगी हूं, मेरे पास भी महकमा रह है वन का। मैंने जब

इसकी जांच की तो समझ में ही नहीं आता कि इसको क्यों बदलना चाहते हैं। बेकार की जमीन अफपरों से मित कर बदल लेते हैं, यह नहीं होता चाहिए। दूसरे, भूमि संरक्षण के नाम से मेरे पास एक बार वकेवर कालेज, इटावा की जमीन का बड़ा भारी नक्शा आ गया और कहा गया कि वकेवर कालेज में भूमि संरक्षण की ट्रेनिंग होती है, जब उसकी जांच करवाई तो न कोई टीचर. न कोई स्टुडेंट, न कोई क्लास लेकिन चार सौ एकड़ भूमि लेने के लिए प्रिंसि-पल ने मिल-मिलाकर अकपरों से दे दिया सुझाव। मेरे जमाने में तो तराई जमीन में सौ पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्ज आकर पड़ गए तराई पर लेकिन एक इंच जमीन मैंने नहीं दी। आन्दोलन हुए, सब कुछ हुआ, मैंने सीधा कह दिया कि अब्बल तो जमीन देने का केबिनेट का फैसला नहीं है और देते भी लगे तो जिस जिले का कोई रहते वाला है उसको दंगा। तो जो सारी पार्टिज के लोग जमा हो गए थे अपने आप हट गए वहां से।

उपसभाध्यक कमी-कमी महोदय, विभागों के नाम से जमीनों को लेकर के दुरुपयोग करते हैं। मझे मालुम है हरि-द्वार से देहरादून सड़क का एक मामला था। हमने तो नहीं दी जनीन, पता नहीं कहां से जंगल के बीच से सड़क निकाल दी। तो बहुत सी जमीन बचाई जा सकती है विभागों के नाम से। जिस सिंचाई की योजना के बारे में अभी एक सदस्य कह रहे थे। मैं हामी हं कि सिचाई योजनाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़े तो दे देनी चाहिए, लेकिन बहुत सी जमीनों का दूरुपयोग करने के

लिए महकनों में कम्पीटीशन है। बहुत सी जनीन लेकर के डाल दी किसी भी काम में, किसी विभाग के नाम से चाहै किती व्यक्ति के नाम से। मुझे एक केस याद है दिल्ली की जमीन का, वह तो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत सब्ती से उन्होंने आदेण दिया कि यह दिल्लो का एक फेनड़ा बना हआ है अगर यह फारेस्ट ले लिया तो कोई योजना नहीं। अब पता नहीं पैट्रोल पंप कहां से घुसकर वन रहे हैं। दिल्ली में जो फारेस्ट की जनीन बच रही है उस पर पैट्रोल पम्प बन जाएगा, किसी का होटल खल जाएगा। उपसमाध्यक्ष महोदय, सारी फारेस्ट की जमीन को जो शहर की जमीन होगी यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो बहुत बन सकते हैं और उनको कोई छेड़ नहीं सकता। अंधाधंध फारेस्ट की जमीनों पर यह वन रहे हैं।

उपसमाध्यक्ष महोदय, ग्रीन पार्क छोडे जाते हैं, जं, नई कालोनियां बन रही हैं, नए शहर बसाए जा रहे हैं। ग्रीन पार्क पर कैसे कड़जे हो जाते हैं किसी भी संस्था के नाम से ? यह चीजें ऐसी में आपको बता रहा हं कि कानन होते हुए भी कैसे उसका पालन नहीं होता। कानन दोधारी तलवार है। उसका सद्पयोग होगा तो कान्त अव्छा है, दुरुपयोग होगा तो उसका बरा फन भी होता है। ब्रा फल ज्यादा आ रहा है कानून से। कानून तोड़ने वालों को उससे आनन्द मिलता है और उनके साथ अगर सरकारी अधिकारी मिल जाएं तो उनका तो बड़ा फायदा होता है। में उपस्माध्यक महोदय, यह कहना चाहता हं कि फारेस्ट की जनीत जो है, चहे

76

श्री रामचन्त्र विकती

वह पंचायती फारेस्ट हो, चाहे रिजर्व फारेस्ट हो, आप एक योजना सोच सकते हैं। रिसर्च इन्स्टीट्यट हमारा देहरा-दून में बना हुआ है जिससे गैर उपजाऊ जमीनों में से, जैसे राजस्थान के भाई शिकायत कर रहे थे। हमारे यहां सुबबल नाम का पौधा उगाया गया है जो लकड़ी के काम भी आता है और चारे के लिए भी काम आता है। ऐसे रिसर्व इंस्टीटयट हमारे यहां देहरादून और वहत सी दूसरी जगहों में हैं जहां रिसर्व का काम करके फारेस्ट लगवाए जा सकते हैं जिनका लकड़ी के लिए भी उपयोग हो और चारे के लिए भी हो।

दसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़कों और रेल पटरियों के किनारे पेड़ लगाने की शुरुप्रात स्वर्गीय श्री मंजय गांधी ने की थें। वे किसी सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनके कहने से रात दिन क्यों पेड़ लगने लगे? मझे सड़कों पर गुजरते हुए उनकी याद म्राती है कि ये पेड़ उनकी ददौलत हैं। ग्राज हमारे यहां वन महोत्सव की स्कीमें हैं, लेकिन ग्रगर भ्राप भांकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे देश का आंकड़ों में ज्यादा विश्वास है और हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। ग्राप रेल पटरियों के किनारे, नदियों के किनारे और सहकों के किनारे पेड लगवा सकते हैं। जा बहां नजदीक के खेत का मालिक है. छोटा किसान है उससे भी याप कह सकते हैं कि वह जो पेड लगाएगा उनकी लकडी उसी की हैंगी तो बहुत सारे पेष्ठ विना सरकारी सहायता के भी लगाए जा स्कते हैं। लेकिन इस ऑर कोई सोचने वाला नहीं है।

एक बात में और कहना चाहता ह कि यहां ताजमहल पर कोयला आ जाएगा, इस प्रकार की आशंकाएं करके फिरोजाबाद, ग्रलीगढ और मधुरा के बहत से उद्योग बंद करा दिए गए। ग्रगर ग्राप इंडस्ट्री लगवाते हैं तो क्यों नहीं ग्राप उसके लिए ऐसी मशीन लगवाते जो धन्नां ऊंचे स्नाकाश में छोड़ सके। वलंदशहर के शिवपूरी के लोग एक बार मेरे पास आए जब वहां एक मिल लगी। में उस मामने को यु.पी. ऐसेम्बली में ले गया और वहां हमने एक मशीन लावा दी जिस पर दो लाख रुपयाखर्ची हम्रा। जो म्राप पहते उद्योगों को लगने देते हैं फिर उनको बंद कराते हैं। तो या ते आप उद्योग ऐसी जगह लगाइए जहां ग्रावादी न हो। नहीं तो ग्राज दिल्ली में इंडस्टींज भी लगती जाती हैं और ग्राप उनको ग्रपराधी भी वनाते जाओंगे। तो स्राप स्रपराध की जड को रोकिए। ग्रगर ग्रपराध ही नहीं होगा तो कान्त की क्या ग्रावश्यकता है। पहले ब्राप इंडस्टी लगने दोगे फिर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाएंगै। इसके लिए ग्राप ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाइए। हमारे यहां कभी कभी गांव समाज की जमीन को फोरेस्ट को दे दिया जाता है और वें पंचायत की लाइन से सटाकर तार खींच देते हैं। इससे गांव की बह-बेटियों को शौच ग्रादि के लिए जाने में भारी परेशानी होती हैं। ऐसे ही पंगुओं की चराने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं और आप फिर उनको परेशान करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लकड़ी के लिए जंगल चाहिए। मैं लकडी के लिए तो नहीं कहता, लेकिन में कहना चाहता है

कि बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिसको मवेशी नहीं खाते। तो मवेशियों को जंगल में चरने की इजाजत होने चाहिए। ग्राप कानून के अंदर उनको इसके लिए जुर्माना कर देते हैं।

इसी प्रकार से कुछ जंगली जाति के लोग हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में, काश्मीर में, उत्तर प्रदेश म्नादि में और उनका पेशा ही यह रहा है कि मविशयों को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकों भी म्नापके कानून परेशान करते हैं। वे जिस तरह से रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए और उनकी जीवन चर्या को म्नाप विगाईं नहीं। उनको माप वहीं रहने दें और वह जमीन उनको ही दे दें।

और अधिक न कहते हुए में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन में यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इसके उपयोग में कोई कमी हो तो चाहे राज्य सरकार हो या आप हों मिल जुलकर इसको सही रूप में लागू करें तभी यह THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, the Hous/stands adjourned for lunch and will meet at 2.30 p.m.

The house then adjourned fo lunch at twentynine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch al thirty-three minutes past two of the clock The Vice-Chairman, (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

FOREST (CONSERVATION) AMEND. MENT BLL, 1987—Cont.

SHRI GHULAM RASOOL

man, Sir, I rise to support the forest (Conservation) Amendment Bill, 1987 and 1 wish to make certain observations for the kind consideration of the hon. Minister.

We had passed the forest (Conservation) Act, 1980 and as I have been able to understand this Act, there are two main aspects. One is in connection with the clearance of projects, be they thermal projects or hydel projects or other projects for which the sanction of the Central Government is necessary. But right now-perhaps this is my understanding of the Bill-We are only concerned with those areas where forests have been out and deforestation has been and land has been allotted to certain prelects. This is being regulated by this Bill, if I am right in understanding this aspect ol it. May I know from the hon. Minister-since the Act was promulgated in 1980— Whether he has any figures in hand as to how many State Governments have actu ally asked for permission under this Act from the Central Government for allot ment of land to certain individuals or agency whatever is provided under section 2?

If he has figures ready at hand, he may kindly enlighten me because that alone is the index by which it can be known to us whether this Act is being implemented in letter and spirit. So far as my experience is concerned, I find that apart from leasing out to companies, even individuals have started encroaching on these de-forested lands. What they do is, in Kashmir, I have seen myself particularly in the river Sindh belt, on the roadside of the forest, wherever the forests are being cut, legally or illegally, people start erecting two poles. After levelling a little ground, they erect two poles. After some time, we find that they have erected something and in no time, they have started forming what they call "Dokas". They are small huts. Does the formation of such huts also come under the purview of the Act or not ? If it does, I may say a flagrant violation of this is be-